AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed Online International Journal
Google Scholar Indexing PIF: 1.048(I2OR) & 3.125 (IIFS)
Vol (3), Issue (1), January-March 2026 ISSN: 3048-7951

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020: समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा के माध्यम से समावेशी समाज के निर्माण की ओर एक सार्थक पहल

उमाकांत प्रसाद[1] & संयुक्ता सरकार[2]

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19012890

Review: 04/02/2026 Acceptance: 04/02/2026 Publication: 14/03/2026

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच पर विशेष रूप से बल देते हुए सबके लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ संकल्प है। समावेशी शिक्षा द्वारा एक न्याय संगत एवं समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है जिसके माध्यम से राष्ट्र का सतत एवं संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनेक शिफारिशें की गयी है जिसके माध्यम से लिंग और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के अंतराल को पाटकर भारतीय समाज में मौजूद विषमताओं को दूर किया जा सकता है और अंततः समावेशी समाज के सपने को साकार किया जा सकता है। यह वैश्विक मंच पर वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। वर्तमान लेख का उद्देश्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित इस नीति की सिफारिशों और कारकों का विश्लेषण करना है, जिसने इस नीति को अद्वितीय बना दिया है। समावेशी दृष्टिकोण से नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के अलावा, यह लेख कुछ सुझावों के साथ समाप्त होता है जो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली नीतियों में मदद कर सकती है।

कुंजी शब्द: समावेशी समाज, समावेशी शिक्षा, सामाजिक न्याय, 'सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह' (एसईडीजी), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

परिचय

शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। इस दिशा में समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहल है। (सिंह, 2020)। समावेशी शिक्षा का उचित विचार हमारे समाज के कई सदस्यों के लिए स्पष्ट नहीं है और उनमें से कई अभी भी एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के बीच के अंतर को लेकर भ्रमित हैं और अभी भी समावेशी शिक्षा

[1] सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, विश्वभारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल , भारत

[2] शोधार्थी, शिक्षा विभाग, विश्वभारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल , भारत

एक मिथक बना हुआ है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य न केवल दिव्यांग बच्चों को बल्कि समाज के अन्य वंचित वर्गों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना है। दुर्भाग्य से, समावेशी शिक्षा की शुरुआत के कई दशकों बाद भी, अधिकांश मामलों में इसकी व्यापक स्वीकृति नहीं देखी गई है। हालाँकि, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी नीतियां, विभिन्न शिक्षा आयोगों की सिफारिशें और अधिनियम हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से ज्यादातर मुख्य रूप से दिव्यांग बच्चों की समस्याओं और समावेशन से ही संबंधित हैं। समावेशी शिक्षा केवल 'सभी के लिए शिक्षा' सुनिश्चित ही नहीं करती बल्कि इसका उद्देश्य समाज के सभी लोगों को उनके व्यक्तिगत भिन्नता को बनाए रखते हुए उन्हें एक छत के नीचे लाना है। इसका लक्ष्य दूसरों के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया, दिव्यांग बच्चों और वंचित वर्ग के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, अन्य लोगों के प्रति प्रतिस्पर्धी मानसिकता आदि को समाप्त करना है। दान, सहानुभूति व द्वेष के बजाय आपसी सम्मान और समझ को विकसित करना है।

“समावेशी शिक्षा का संबंध केवल विकलांग विद्यार्थियों से ही नहीं है, बल्कि इसका संबंध उन सभी विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली, सीखने और भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करने से भी है, जो पूर्ण शैक्षिक भागीदारी से वंचित रह जाते हैं। यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जिसे सभी बच्चों के लिए सीखने को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें शिक्षण केंद्रों की संस्कृतियों, पाठ्यक्रमों और समुदायों में शिक्षार्थियों की भागीदारी को बढ़ाना और उनके बहिष्करण को कम करना शामिल है। यह सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा तक पहुंच, भागीदारी और सीखने को सुनिश्चित करता है।”(यूनेस्को, 2000)।

भारत में समावेशी शिक्षा का अंगीकार

सर्व शिक्षा अभियान (2000), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2009) ने भी समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। सर्व शिक्षा अभियान ने दिव्यांग छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में सभी बच्चों के सीखने के स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वभौमिक पहुंच के साथ-साथ प्रतिधारण (retention) को सुनिश्चित करना और लैंगिक अंतराल को पाटना भी इसका उद्देश्य है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 में दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य हमारे राष्ट्र को अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक बनाने के लिए सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना भी है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2009) भी अल्पसंख्यक समूह, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को प्राथमिकता देता है। साथ ही लैंगिक असमानता और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों और दिव्यांग बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों और आवश्यक सामानों के वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। सर्व शिक्षा

अभियान के बाद माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण सामाजिक समता की ओर एक और कदम है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) में भी दिव्यांग और बिना अक्षमता वाले छात्रों को एक साथ सीखने पर जोर दिया गया है। यह सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण और सीखने की प्रणाली को उपयुक्त रूप से अनुकूलित करने पर विशेष बल देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण सिफारिशें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है क्योंकि इस नीति में शिक्षा के कई क्षेत्रों में कई नवीन चीजें शामिल हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र समावेशी शिक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 6 में 'समतामूलक और समावेशी शिक्षा: सभी के लिए अधिगम' शीर्षक के अंतर्गत समावेशी शिक्षा की प्रासंगिकता और समतामूलक समाज की स्थापना में इसके महत्व की विस्तार से चर्चा की गयी है। इसलिए, यह शीर्षक ही अपनी प्रस्तुति में समावेशी है। इस नीति में समावेशी शिक्षा को इस तरह से प्रस्तुत करना वास्तव में प्रशंसनीय है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दृष्टिकोण व्यापक है। इस नीति का स्पष्ट रुप से मानना है कि शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एक मात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज के निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हों। समावेशी समाज के इसी आयाम को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) समावेशी शिक्षा को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह अपने दृष्टिकोण में अद्वितीय है क्योंकि यह समान अधिकार, शिक्षा में समानता एवं मानव अधिकारों के विचारों को भी शामिल करती है। नीति इस बात को दोहराती है कि समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा सीधे राष्ट्र के विकास से संबंधित है। (शर्मा, 2021)। इस प्रकार, नीति इस बात पर जोर देती है कि राष्ट्र निर्माण के लिए शत प्रतिशत समान और समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है। यह नीति किसी भी राष्ट्र की नियति को बदलने में शिक्षा की शक्ति को स्वीकार करती है। इसके अलावा इसने (नीति) इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को पाटने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के बावजूद अभी भी कैसे भारतीय समाज में बड़ी विषमताएँ मौजूद हैं। इस आलोक में, यह नीति 'सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों' (SEDGs) के विचार को व्यापक बनाती है और इसमें लिंग, भौगोलिक पहचान, दिव्यांगता और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर श्रेणियां शामिल करती है। भारतीय समाज के विविध संदर्भ एसईडीजी शब्दावली में परिलक्षित होते हैं क्योंकि इसमें पिछड़ी जातियों, लिंग, विकलांगता (दिव्यांगजन) और बाल तस्करी के शिकार लोगों, भीख मांगने वालों और शहरी गरीब आदि को शामिल किया गया है।

अभी तक बहुत कम नीतियों में शायद ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में सोचा गया है। अधिकांश नीतियां केवल स्त्री शिक्षा से ही संबंधित रही हैं लेकिन यह नीति ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करती है, साथ ही उनकी आवश्यकताओं का संज्ञान लेते हुए उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने पर ध्यान देती है।

यह नीति यह भी दर्शाती है कि प्रत्येक वर्ग से संबंधित सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) में महिलाओं का लगभग आधा हिस्सा किस प्रकार शामिल है। इसलिए, नीति इन वर्गों की समस्याओं को कम करने के लिए विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर जोर देती है। लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश की क्षमता के विकास हेतु इस नीति में 'जेंडर-समावेशी-निधि' बनाने का प्रस्ताव है। राज्य उन प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन के लिए धन प्राप्त करने में सक्षम होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा शैक्षिक उद्देश्य, स्वच्छता व शौचालय से सम्बंधित सुविधाएं, साइकिल प्रदान करने, सशर्त नकद हस्तांतरण आदि से संबंधित मुद्दों के लिए लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों की सहायता के लिए निर्धारित की जाएंगी।

एसईडीजी की शिक्षा तक पहुँच से सम्बंधित समस्याओं के समाधान हेतु इसी प्रकार की 'समावेशी निधि' की व्यवस्था है। सामाजिक रूप से वंचित समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के उन क्षेत्रों को 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' घोषित करने का भी प्रस्ताव है, जहाँ ऐसे समूह की बड़ी आबादी है। यहाँ केंद्र और राज्यों द्वारा योजनाओं को यथासंभव लागू करने के साथ ही अतिरिक्त प्रयास किये जायेंगे ताकि इन क्षेत्रों के शैक्षिक परिदृश्य को बदला जा सके।

अनुसूचित जनजाति के बच्चों को होने वाली समस्याओं के समाधान और इनके उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए विशेष तंत्र बनाने पर जोर दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुँच पाने में कमी, गरीबी, सामाजिक रीति-रिवाजों, प्रथाओं और भाषा सहित अनेक कारकों से अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन और प्रतिधारण की दरों पर हानिकारक प्रभावों को देखते हुए अनुसूचित जातियों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच, भागीदारी और अधिगम परिणाम के अंतरालों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, अन्य पिछड़ा वर्ग की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

स्कूल और उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यकों के कम प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए यह नीति अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप के महत्व को स्वीकार करती है। अभी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों छात्र शिक्षा की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए है। इन समुदायों के शैक्षिक भविष्य को इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।

नीति में दिव्यांग बच्चों पर विशेष जोर दिया है और पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा स्तर तक उनकी समान भागीदारी और उनके लिए पूर्ण समर्थन सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। इन्हें लेकर स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स की बड़ी जिम्मेदारी होगी। यहाँ शिक्षकों की क्रॉस-डिसएबिलिटी ट्रेनिंग के अलावा विशेष शिक्षकों की भर्ती पर भी जोर दिया गया है। इस नीति में गंभीर दिव्यांगताओं और बहु-दिव्यांगता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक संसाधन केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। साथ ही आरपीडबल्यूडी अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों को सुसंगत मानते हुए उन्हें लागू करने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) को भारतीय संकेत भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करने का काम सौंपा गया है। ऐसे छात्र जो स्कूल जाने में असमर्थ होंगे उनके लिए गृह-आधारित शिक्षा का भी प्रावधान है। नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो छात्र गंभीर दिव्यांगता के कारण गृह-आधारित शिक्षा चुनते हैं, उन्हें अन्य छात्रों के समतुल्य माना जाएगा। इसके अलावा, संसाधन केंद्र और नियुक्त विशेष शिक्षक ऐसे छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की सहायता करेंगे ताकि छात्रों द्वारा उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त की जा सके।

इस नीति में अधिगम दिव्यांगता (सीखने की अक्षमता) का अलग से उल्लेख है। अब तक अधिकांश नीतियों में मुख्य रूप से आसानी से ध्यान देने योग्य या आसानी से समझ में आने वाली अक्षमताओं (दिव्यांगताओं) जैसे दृष्टि अक्षमता, श्रवण अक्षमता, शारीरिक अक्षमता (आर्थोपेडिक), बौद्धिक अक्षमता आदि पर ही ध्यान दिया गया है। सीखने की अक्षमता (अधिगम दिव्यांगता) का पता लगाना वास्तव में एक कठिन काम है। यह नीति इसका विशेष रूप से उल्लेख करते हुए अधिगम दिव्यांग बच्चों की शीघ्र पहचान करने, उनके निवारण के लिए योजना बनाने के साथ साथ उनके लिए समावेशी शिक्षा के महत्व पर विशेष बल देती है।

विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाये, इससे संबंधित जागरूकता और ज्ञान को सभी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाने के साथ साथ लैंगिक संवेदनशीलता व अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करने के लिए भी यह नीति प्रतिबद्ध है।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भी इस नीति की समावेशी दृष्टि बनी हुई है। वंचित वर्गों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देने, सभी छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित करने, भारतीय भाषाओं व द्विभाषी रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, एसईडीजी के बीच उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृति से जुडी जागरूकता फ़ैलाने, बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी के निर्माण व विकास आदि जैसे कदम उच्चतर शिक्षा को समावेशी बनाने की ओर महत्वपूर्ण पहल हैं।

समावेशी समाज की ओर एक सार्थक पहल

सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसके लिए यह नीति प्रतिबद्ध है, जो इस पत्र का प्रमुख प्रसंग भी है कि वास्तव में समावेशी और समतामूलक समाज कैसे स्थापित किया जा सकता है। केवल सिफारिशें ही काफी नहीं हैं, न ही समावेशन या समानता का विचार ही काफी है। जब तक समाज इन अवधारणाओं के मूल्य को नहीं समझेगा तब तक कोई भी नीति या सिफारिश या पहल फलदायी नहीं हो सकती। इस नीति में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के प्रत्येक वर्ग का उल्लेख करना और जाति, पंथ, धर्म, वर्ग, लिंग और दिव्यांगता के बावजूद समाज में सभी बच्चों के लिए समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा का प्रावधान करना वास्तव में समावेशी समाज की दिशा में एक उपयोगी कदम है।

यदि किसी कक्षा में केवल एक धर्म, एक संस्कृति या भाषाई पृष्ठभूमि या केवल दिव्यांजन छात्र हो, तो छात्रों के लिए दूसरों की समस्याओं या समाज की विविधता को समझना मुश्किल होगा। इसके अलावा इस तरह का एकाधिकार अंततः आधिपत्य पैदा करेगा, चाहे वह सांस्कृतिक, भाषाई, लिंग, धार्मिक ही क्यों न हो। इसलिए, यदि कोई कक्षा एक ही छत के नीचे सभी छात्रों का स्वागत करती है, तो यह उन सभी छात्रों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के अन्य छात्रों को समझने के लिए उपयोगी होगा। इस प्रकार, छात्र अन्य वर्ग के सक्षम छात्रों के संघर्ष को जानेंगे । साथ ही विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक या भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को दूसरों की संस्कृति, धर्म या भाषा को समझने में मदद मिलेगी जिससे एक प्रभावी बहुसांस्कृतिक समाज बनाने में भी मदद मिलेगी। इस प्रकार सभी छात्र समाज के साथ-साथ लोगों के जीवन में मौजूदा समस्याओं को समझेंगे और वे एक-दूसरे की मदद कर सकेंगे, खासकर तब जब राष्ट्र का संचालन इन भावी नागरिकों के हाथों में होगा।

यह नीति सुनिश्चित करना चाहती है कि स्कूल की संस्कृति व पाठ्यक्रम आदि के माध्यम से छात्रों में अपने साथी मित्रों के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जाये। इस नीति का मानना है कि यदि प्रत्येक छात्र सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के अन्य छात्रों की समस्याओं से परिचित हो जाते हैं, उनके संघर्ष को समझते हैं और उनसे मित्रता करते हैं, तो आपसी सद्भाव, प्रेम, सहयोग और सम्मान आदि छात्रों में स्वतः ही विकसित हो जायेंगे। और यह समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा द्वारा सम्भव हो सकता है। (शभंकर, 2020)।

यह नीति विद्यालय को सचेत करती है कि पाठ्यक्रम में या विद्यालय परिसर में किसी भी तरह के पक्षपात या रूढ़िवादिता को बढ़ावा न मिले। यह नीति स्कूली पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री शामिल करना चाहती है जिससे छात्र मानवीय मूल्यों को आत्मसात कर पाए। मानवाधिकार, अहिंसा, सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान, लैंगिक समानता, सहिष्णुता, सहानुभूति, समावेशन और समता, वैश्विक नागरिकता आदि को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए यह नीति प्रतिबद्ध दिखती है जो अंततः छात्रों में विविधता के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता विकसित करने

में सहायक होगा। इस प्रकार विद्यालय का माहौल और पाठ्यक्रम छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते है, तो आने वाली पीढ़ी कम से कम समाज के अन्य सभी सदस्यों के साथ शांति और सद्भाव से रह सकेगी, भले ही वे किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग आदि के क्यों न हों और अंततः समावेशी समाज के सपने को साकार किये जा सकेगा।

निष्कर्ष

इस प्रकार, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में पिछले अधिनियमों, नीतियों और आयोगों की खामियों को दूर करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 सभी के लिए समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा का प्रावधान करती है जहां प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं को सुरक्षित एवं समर्थित महसूस करें। इस नीति के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के दाखिले, उपस्थिति के साथ-साथ सभी गतिविधियों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लोगों की पहुंची के दायरे में रखने के लिए समावेशन की यह निति निश्चित रूप से युगांतरकारी सिद्ध होगी। इस प्रकार यह नीति सभी वर्गों खास कर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, ट्रांसजेंडर, महिलाओं, दिव्यांजनों और भौगोलिक रूप से दूर-दराज के विद्यार्थियों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करेगी जो अंततः राष्ट्र के सतत विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। नीति में विद्यालय, शिक्षकों और पाठ्यक्रम की भूमिका सुनिश्चित करते हुए समावेशी समाज की स्थापना के घटकों पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। नीति का दृढ विश्वास है कि समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा द्वारा छात्रों में आपसी सद्भाव, प्रेम, सहयोग और सम्मान आदि को विकसित किया जा सकता है। शिक्षा में समावेशन की यह नीति **'सब-पढ़े, सब-बढ़े'** से आगे बढ़कर **'साथ-पढ़े, साथ-बढ़े'**, **'पढ़े-भारत, बढ़े-भारत'** और **'सबका-साथ, सबका-विकास'** की अवधारणा एवं उपागम पर आधारित है । इसके माध्यम से समाज में सौहार्द्ध, भाईचारा, आपसी सहयोग, प्रेम एवं सहिष्णुता का संचार किया जा सकता है। इस प्रकार एक ऐसा समावेशी समाज बनाया जा सकता है जहाँ सभी शांति और सद्भाव से रह सके, भले ही वे किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग आदि के क्यों न हों। यदि ऐसा होता है, तो भविष्य में समावेशी समाज का लंबे समय से पोषित सपने को अंततः साकार किया जा सकेगा।

संदर्भ सूची

1. **इंटरनेशनल कॉन्सलेटिव फोरम ऑन एजुकेशन फॉर आल**. (2000). **एजुकेशन फॉर आल** 2000 **असेसमेंट**: **थीमेटिक स्टडी**, **एग्जीक्यूटिव समरी**. ***वर्ल्ड एजुकेशन फोरम***, ***यूनेस्को*** (पीपी. 43-62). 18 जून 2024 को https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000120056/PDF/120056engo.pdf.multi से पुनः प्राप्त किया गया।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, भारत सरकार। 12 नवंबर 2023 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf से पुनः प्राप्त किया गया।
3. शर्मा, युक्ति (2021). *इंक्लूसिव एजुकेशन: पर्सपेक्टिव्स, प्रैक्सिस एंड पेडागोजी*, पियर्सन इंडिया एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।
4. शभंकर, डी. एन. (2020). सभी के लिए अधिगम हेतु समतामूलक और समावेशी शिक्षा इन जी. के. ठाकुर & एमo केo राय (इडीएसo), *राष्ट्रीय शिक्षा नीति: एक सिंहावलोकन* (पीपी. 41-42). महात्मा गाँधी अंतराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा. 27 नवंबर 2023 को http://www.mgahv.in/Pdf/RashtriyaShikshaNeeti2020.pdf से पुनः प्राप्त किया गया।
5. सिंह, एन. (2020). नई शिक्षा नीति 2020: सामाजिक समावेशन का दस्तावेज. इन ए श्रीवास्तव & पी, ओमकार (इडीएस.), *नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020: कसेप्टस* (पीपी. 66-69). महात्मा गाँधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विथ किताबवाले. 27 नवंबर 2023 को https://mgcub.ac.in/pdf/NEP-2020%2027%20October_colour.pdf से पुनः प्राप्त किया गया।